

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

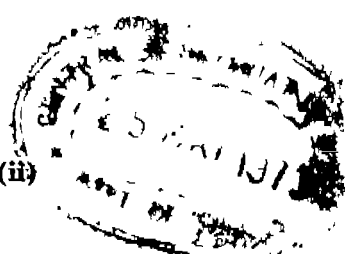
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 162] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 1973/वैशाख 5, 1895

No. 162] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 1973/VAISAKHA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1973

S.O. 249(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the equitable distribution of fertilisers in the States of India ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short Title and commencement.—(1) This Order may be called the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In this Order unless the context otherwise requires,

- (a) 'export' means to take or cause to be taken out of any place within a State to any place outside that State;
- (b) 'fertiliser' shall have the same meaning as in item (d) of clause 2 of the Fertiliser (Control) Order, 1957 ;
- (c) 'State' includes a Union Territory and 'State Government' in relation to a Union Territory means the Administrator thereof.

3. Prohibition of export of fertilisers.—No person shall export, or attempt to export, or abet the export of, any fertiliser from any State :

Provided that nothing in this clause shall apply to the export of fertilisers—

- (i) by any of the manufacturers specified in column 2 of the Schedule to this Order if such fertilisers are manufactured and exported from the location specified in the corresponding entry in column 3 of the said Schedule ; or
- (ii) by or on behalf of the Food Corporation of India established under Section 3 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) ; or
- (iii) by or on behalf of the Central Warehousing Corporation established under Section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) ; or
- (iv) by or on behalf of the State Warehousing Corporations established under Section 18 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) ; or
- (v) by the Indian Potash Limited , or
- (vi) under and in accordance with an authority issued by the Government of India, Ministry of Agriculture or the Director of Agriculture of a State Government or any other Officer authorised by the State Government in this behalf.

4. Powers of entry, search, seizure etc.—(1) Any Inspector of fertilisers appointed under Clause 19 of the Fertiliser (Control), Order, 1957 or any Police Officer not below the rank of a head constable or any other person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government may, with a view to securing compliance with this Order or to satisfy himself that this Order has been complied with,

- (a) stop and search, or authorise any person to stop and search, any person, boat, motor or any other vehicle or any receptacle used or intended to be used for the export of fertilisers ;
- (b) enter and search or authorise any person to enter and search any place ;
- (c) seize or authorise the seizure of any fertiliser in respect of which he has reason to believe that any provision of this Order has been, is being, or is about to be contravened along with the packages, coverings or receptacles, in which such fertilisers is found or animal, vehicles, vessels, boats or conveyances used in carrying such fertiliser and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the packages, coverings, receptacles, animals, vehicles, vessels, boats or conveyances so seized, in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of Sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

SCHEDULE

Serial No.	Name of the Manufacturer	Location from which export can be made
1	2	3
1	Fertiliser Corporation of India, Gorakhpur Unit, Uttar Pradesh	Gorakhpur.
2	Fertiliser Corporation of India, Namrup Unit, Assam	Namrup.
3	Fertiliser Corporation of India, Nangal Unit, Punjab	Nangal Dam
4	Fertiliser Corporation of India, Sindri Unit, Bihar	Sindri/Sindri Assisted siding.
5	Fertiliser Corporation of India, Trombay Unit, Bombay	Fertiliser siding Trombay
6	Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd., Alwaye, Kerala	Alwaye.
7	Hindustan Steel Ltd., Rourkela, Orissa	Rourkela.
8	Hindustan Steel Ltd., Durgapur, West Bengal	Durgapur.

1	2	3
9	Hindustan Steel Ltd., Bhilai, Madhya Pradesh	Bhilai.
10	Madras Fertilisers Ltd., Manali, Tamil Nadu	Manali.
11	Gujarat State Fertiliser Co. Ltd., Baroda, Gujarat	Bajuwa.
12	Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli, Tamil Nadu	Neyveli/Neyveli Lignite Corporation siding.
13	Coromandel Fertilizers Ltd., Visakhapatnam, Andhra Pradesh	Visakhapatnam.
14	Shriram Chemical Industries Ltd., Kota, Rajasthan	Kota/SFC siding Dadhdevi (Kota).
15	E.J.D. Parry Ltd.	1. Ennore 2. Ranipet. 3. Tadepalli.
16	Indian Explosives Ltd., Panki Uttar Pradesh	Panki.
17	Zuari Agro Chemicals Ltd., Panaji, Goa	Zuarinagar.
18	New Central Jute Mills Co. Ltd., Varanasi	Varanasi.
19	Tata Iron and Steel Co. Ltd., Jamshedpur	TISCO works. site
20	Indian Iron and Steel Co. Ltd., Burnpur-Kulti, West Bengal.	Burnpur.
21	Adarsh Chemical and Fertilisers Ltd., Udhna, Distt. Surat, Gujarat	Udhna.
22	Alembic Chemical Works Co. Ltd., Udhna, Distt. Surat, Gujarat	Baroda.
23	Anil Starch Products Ltd., Ahmedabad	Bhavnagar.
24	Andhra Sugars Ltd., Tanuku, Andhra Pradesh	Tanuku.
25	Bihar State Superphosphate Factory, Sindri, Bihar	Sindri.
26	Coimbatore Pioneer Fertilisers Ltd., Coimbatore, Distt.	Sulur Road.
27	Dharamsi Morarji Chemicals Co. Ltd.	1. Ambernath. 2. Kumbhari.
28	Hindustan Zinc Ltd., Udaipur, Rajasthan	Debari.
29	Jay Shree Chemicals and Fertilisers Ltd., West Bengal	Khardaha.
30	Krishna Industries Corporation, Andhra Pradesh	Nidadavole Jn.
31	Phosphate Co. Ltd., West Bengal	Rishra.
32	Ralli Chemicals Ltd., Uttar Pradesh	Magarwara.
33	Shaw Wallace and Company	Avadi.

[No. 10-19/72-MPR-STU]

KUMARI ANNA R. GEORGE,
Joint Secy.

कृषि मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

आग्रसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1973

का० आ० 249(अ).—यनः केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के राज्यों में उर्वरकों का साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतः अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --(1) उप आदेश का नाम उर्वरक (संचयन नियंत्रण)

आदेश, 1973 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “निर्यात” से राज्य के भीतर किसी स्थान से उस राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाना या लिवा जाना अभिप्रेत है।

(ख) “उर्वरक” का वही अर्थ होगा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खंड 2 की मद (घ) में है ;

(ग) “राज्य” के अन्तर्गत सघ राज्य-क्षेत्र हैं और सघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उसका प्रशासन अभिप्रेत है।

3. उर्वरकों के निर्यात का प्रतिबन्ध :—कोई व्यक्ति किसी राज्य में किसी उर्वरक का निर्यात, या निर्यात करने का प्रयत्न, या निर्यात का दुस्प्रेरण नहीं करेगा :—

परन्तु इस खंड की कोई भी बात उर्वरकों के—

(1) यदि ऐसे उर्वरक उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवस्थान में विनिर्मित किए जाने हैं और निर्यात किये जाते हैं तो इस आदेश की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं में से किसी के द्वारा ; या

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम द्वारा या उसकी ओर से ; या

(3) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागारण निगम द्वारा या उसकी ओर से ; या

(4) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 18 के अधीन स्थापित राज्य भाण्डागारण निगम द्वारा या उसकी ओर से ; या

(5) भारतीय पोटैश लिमिटेड द्वारा ; या

(6) भारत सरकार कृषि मन्त्रालय या राज्य सरकार के कृषि निदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किये गए प्राधिकार के अधीन और उसके अनुसार निर्यात पर लागू नहीं होगी।

4. प्रवेश तलाशी और अधिग्रहण आदि :—(1) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खंड 19 के अधीन नियुक्त कोई उर्वरक निरीक्षक या हैड-कास्टेबल की पक़्त से अन्विष्ट कोई पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह धर्माधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का अनुपालन हो गया है,

(क) किसी व्यक्ति नाव, मोटर गाड़ी या उर्वरकों के निर्यात के लिये प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये प्राशयित किसी अन्य यान या किसी पात्र को रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा या किसी व्यक्ति को उन्हें रोकने या तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने और तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(ग) किसी ऐसे उर्वरक को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है और साथ ही ऐसे पैकेजों, आबेष्टकों या पात्रों को जिनमें ऐसे उर्वरक हो या ऐसे उर्वरकों को ले जाने में प्रयुक्त पशुओं, यानों, जलयानों, नावों या प्रवहणों को अभिगृहीत या अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार अभिगृहीत पैकेजों, आबेष्टकों, पात्रों, पशुओं, यानों, जलयानों, नावों या प्रवहणों को न्यायालय में पेश करने को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश किए जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) तलाशी और अधिग्रहण में सम्बन्धित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 और 103 के उपबन्ध, इस खंड के अधीन तलाशी और अधिग्रहण को यावत्शक्य लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	विनिर्माता का नाम	अवस्थान जहाँ से निर्यात किया जाता है
1	2	3
1	भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर यूनिट, उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
2	भारतीय उर्वरक निगम, नामरूप यूनिट, असम	नामरूप
3	भारतीय उर्वरक निगम, नांगल यूनिट, पंजाब	नांगल बाध
4	भारतीय उर्वरक निगम, सिन्द्री यूनिट, बिहार	सिन्द्री/सिन्द्री हमदादी पार्श्वक।
5	भारतीय उर्वरक निगम, ट्राम्बे यूनिट, मुम्बई	उर्वरक पार्श्वक ट्राम्बे (एफ जेड एम जी)
6	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, अलवाई, केरल	अलवाई
7	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, उड़ीसा	राउरकेला
8	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल	दुर्गापुर
9	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई, मध्य प्रदेश	भिलाई
10	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, तमिलनाडु	मनाली
11	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी, लिमिटेड, बड़ौदा, गुजरात	बड़ौदा
12	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली, तमिलनाडु	नेवेली/नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन पार्श्वक
13	कोरोमण्डल, फर्टिलाइजर्स, लिमिटेड, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम

1	2	3
14	श्रीराम कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटा, राजस्थान.	कोटा, एस एफ सी— पाशार्बक दधदेवी (कोटा)
15	इ० आई० डी०, पैरी लिमिटेड	1. इन्नोर 2. रानीपेट 3. टाङ्गपल्ली
16	इंडियन एक्स्प्लोसिव्स लिमिटेड, पनकी, उत्तर प्रदेश	पनकी
17	जोरी एग्री कैमिकल्स लिमिटेड, पणजी, गोवा	जोरीनगर
18	न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स क० लिमिटेड, वाराणसी	वाराणसी
19	टाटा आयरन एण्ड स्टील क०, लिमिटेड, अमरोदपुर	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी वर्क्स साइट
20	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड बर्नपुर-कुल्टी, पश्चिमी बंगाल	बर्नपुर
21	आदर्श कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उधना, जिला सूरत, गुजरात	उधना
22	अलेम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, बड़ोदा, गुजरात	बड़ोदा
23	अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद	आयनगर
24	आन्ध्र कुलर्स लिमिटेड, तनुकु आन्ध्र प्रदेश	तनुकु
25	बिहार स्टेट सुपरफास्फेट फेक्ट्री, सिन्ध्री, बिहार	सिन्ध्री
26	कोयम्बटूर पथोनोयर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिला कोयम्बटूर	सुलूर रोड
27	धर्मसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी लिमिटेड	1. अम्बरनाथ 2. जुम्हारी
28	हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान	देवरी
29	जयश्री कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल	खरदाहा
30	कृष्ण इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, आन्ध्र प्रदेश	निवाडावोली जंकशन
31	फास्फेट कम्पनी लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल	रिश्रा
32	रल्ली कैमिकल्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	मगरबाड़ा
33	श्री वालेस एण्ड कम्पनी	अम्बादी

[स० 10-19/72-एम० पी० आर० एस० टी०यू०]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।